न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

**राजस्व अपील संख्या 177/2023**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 1. ग्राम पंचायत, छीतर का पार; तहसील बायतू जिला बालोतरा जरिये सरपंच श्रीमती चुन्नी | | 1. तहसीलदार, बायतू जिला बालोतरा। |

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 5.10.2020 जो उपखंड अधिकारी बायतू के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ग्राम पंचायत बनाम तहसीलदार में पारित किया गया।

**उपस्थितिः–**

1. **श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री नवलसिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 13 मई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बायतू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत छीतर का पार के नाम से गैर मुमकीन आबादी भूमि ख0सं0 257 रकबा 67.13 बीघा, 571/258 रकबा 9.00 बीघा, 572/258 रकबा 06 बीघा किस्म गै0मु0आबादी आई हुई हैं , मूल आबादी भूमि कम पडने व आबादी का विस्तार होने के कारण आबादी बसी वाले ख0सं0 571/258 व 572/258 को गै0मु0बेरी की भूमि ख0सं0 570/258 में से गै0मु0आबादी के रूप में संपरिवर्तन कराया गया तथा मूल आबादी के ख0सं0 257 के सेढा सेढ ही संपरिवर्तन किये गये तथा ग्राम पंचायत के नाम से गै0मु0आबादी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। अन्त में अपीलार्थी द्वारा ख0सं0 571/258 रकबा 09 बीघा व 572/258 रकबा 06 बीघा भूमि की लटठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त कर मौके पर कब्जे अनुसार लटठा ट्रेस में सही तरमीम करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत कथन किया कि अपीलार्थी एक ग्रामीण काश्तकार है एवं अनपढ व्यक्ति है। कोविड–19 महामारी के कारण पत्रावलिया तत्समय में अधीनस्थ न्यायालय में सही व्यवस्थित नहीं होने के कारण हाल ही में अधिवक्ता के जरिये जानकारी प्राप्त की तब उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.11.2021 की जानकारी हुई तब अपीलार्थी ने नकले प्राप्त करते हुए बिना किसी देरी के यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है। अतः अपील पेश करने में हुए सदभाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए अपीलान्ट की अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने विरोध किया तथा अस्वीकार करने का निवेदन किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है क्योंकि उक्त खसरान की भूमि गैर मुमकीन बेरी की भूमि से संपरिवर्तन की जाकर गैर मुमकीन आबादी में दर्ज की गई तथा भूमि की तरमीम की गई जो तरमीम मौके पर बसी आबादी के अनुसार न कर गलत खाली भूमि की तरमीम आबादी के रूप में कर दी, जो लटठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर आबादी भूमि में अन्तर है। आबादी भूमि ख0सं0 571/258 व 572/258 मौके पर संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये बरंग लाल के अनुसार है और उसी अनुसार तरमीम करनी चाहिये थी परन्तु अधिकारियों द्वारा मोके पर जाकर न तो जॉच की और बिना मौका जॉच किये ही गलत तरमीम कर दी थी। जबकि तरमीम वाले स्थल पर लोगो की फसल बोई हुई है। ऐसे में गलत तरमीम को शुद्ध किया ही जाना चाहिये था।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट भी तहसीलदार बायतू से तलब की थी जिसमें भी गैर मुमकीन बेरी की भूमि से संपरिवर्तन कर गैर मुमकीन आबादी में दर्ज की गई। भूमि ख0सं0 571/258 व 572/258 की तरमीम मौके पर बसी आबादी के अनुसार न कर गलत खाली भूमि की तरमीम आबादी भूमि के रूप में करदी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना को



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खारिज कर दिया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के बारे में कोई विवेचन नहीं किया है। विवादित भूमि पर ग्रामवासी काफी लम्बे अरसे से काबिज है परन्तु जहॉ लोग काबिज है वहॉ पर सही तरमीम नहीं की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.11.2009 को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह तहसीलदार बायतू की ओर से पेश मौका कब्जा व खसरा रिपोर्ट के अनुसार ही पारित किया है जिसमें तरमीम करवाये जाने हेतु दर्शाई गई खसरान भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है जिसे तरमीम हेतु स्वीकार योग्य नहीं कहा जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि ग्राम छीतर का पार में गैर मुमकीन आबादी भूमि के ख0सं0 257 रकबा 67.13 बीघा, 571/258 रकबा 9.00 बीघा, 572/258 रकबा 06 बीघा किस्म गै0मु0आबादी आई हुई हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम में मूल आबादी की भूमि कम पडने व आबादी का विस्तार होने के कारण बसी हुई आबादी वाले ख0सं0 571/258 व 572/258 को गै0मु0बेरी की भूमि ख0सं0 570/258 में से गै0मु0आबादी के रूप में संपरिवर्तन कराये जाने तथा मूल आबादी के ख0सं0 257 के सेढा सेढ ही संपरिवर्तन तरमीम होना तथा ग्राम पंचायत के नाम से गै0मु0आबादी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। उक्त तरमीम को गलत तरमीम की जाना मानते हुए ग्राम पंचायत की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम दुरूस्ती हेतु आवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बायतू से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें खसरा भूमि के खसरा संख्या 258 की पुरानी आबादी व सडक के बीच वाली भूमि जो गैरमुमकीन बेरी वाली भूमि पर लोगो के रहवासी घर बने हुए है, को अतिक्रमण किया हुआ होना बताया, उक्त भूमि को आबादी भूमि में तरमीम करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया बताया गया तथा की गई तरमीम जो कि नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित की गई थी और जो पडौसी दर्शाये गये है उनके अनुसार सही तरमीम होना अंकित होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने अस्वीकार किया गया है जिससे यह न्यायालय पूर्ण रूप से सहमत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज 13 मई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
समागीय आयुक्त,
जोधपुर